राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1] पंचम विधान सभा के प्रथम सत्र का दूसरा दिवस [संख्या 3

मंगलवार

दिनांक 21-3-72

विधान सभा की बैठक म. पू. 12-35 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

सदन की मेज पर रखा गया पत्र

श्री **अध्यक्ष** : सदन की मेज पर रखा जाने वाला पत्र।

विधान सभा सचिव : मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

शोक प्रकट

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचना देना चाहूंगा कि चतुर्थ विधान सभा के जिन सदस्यों का निधन इस बीच में हुआ है उनके प्रति संवेदना का प्रस्ताव मैं आपके सामने रख रहा हूं। वे सदस्य निम्न हैं :-

(1) स्वामी श्री कुमारानन्दजी एवं

(2) श्री रामकुमारजी नन्दवाना।

स्वामी श्री कुमारानन्द तृतीय विधान सभा के लिये कम्यूनिस्ट पार्टी के टिकट पर ब्यावर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। श्री कुमारानन्द जिस समय विधान सभा के सदस्य बनें उस समय तक वे काफी आयु प्राप्त कर चुके थे लेकिन इनके जीवन में जो क्रान्तिकारी जीवन बिताने के प्रण का समावेश हो गया था उसने उन्हें विधान सभा के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्ण सजग व सचेत रहने की प्रेरणा देता गया।

स्वामीजी का जन्म 1891 में बंगाल प्रान्त में हुआ था और उन्होंने बी. ए. तक शिक्षा पाई थी। वर्ष 1905 से ही इनका जीवन एक क्रान्तिकारी का जीवन बन गया और वे राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संग्राम में जूझने लगे। सन् 1921 से 1945 तक वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे और अक्टूबर 1927 में इन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में अध्यक्षता भी की। वे चूंकि जन्मजात क्रान्तिकारी थे इसके बाद उन्होंने कम्यूनिस्ट पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली।

वे राजस्थान ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। स्वामीजी यह जानते थे कि जीवन का जो रास्ता उन्होंने चुना है वह खतरे से खाली नहीं है और संभवतया

Page No 2

(श्री अध्यक्ष)

इसीलिए उन्होंने आजीवन अविवाहित रह कर अपने सम्पूर्ण व्यक्तित्व को देश सेवा के लिए अर्पित कर दिया।

- स्वामीजी के जीवन पर एक दृष्टि डाल कर यह सहज ही जाना जा सकता है कि राजनीति और वह भी क्रान्तिकारी राजनीति इनके लिए थी। दूसरे शब्दों में ये इस क्रान्तिकारी राजनीति के लिये जन्मे थे। यदि विधान सभा के सदस्य के रूप में उनके योगदान पर दृष्टि डाली जाय तो यही प्रकट होगा कि उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्पों, प्रस्तावों और प्रश्नों में जन जागरण, जन क्रान्ति और गरीबों के जीवन के उत्थान के लिए संघर्ष की भावना ही निहित थी। उन्होंने विधान सभा में जो कुछ कहा और सदन के प्रांगण पर राज्य सरकार से जो कुछ मांगा वह यही था कि सरकार जो करे उसमें वह हमेशा इस बात का ध्यान रखे कि उसका प्रभाव आम जनता पर क्या पड़ता है। उससे गरीब को क्या मिलता है। स्वामीजी के विचार, उनका जीवन हमें हमेशा प्रेरणा देता रहेगा।

29 दिसम्बर 1971 को स्वामीजी का निधन हो गया।

मैं अपनी ओर से और सदन की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

दूसरे श्री रामकुमार नन्दवाना थे। ये चित्तौड़गढ़ निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के टिकिट पर चतुर्थ विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री नन्दवाना ने अपने क्षेत्र में सहकारिता कार्यक्रमों एवं गाड़िया लोहार सेवा संघ में सक्रिय भाग लिया।

श्री नन्दवाना 1947 से ही जिला कांग्रेस में विभिन्न पदों पर आसीन रहे तथा 1962 से 1967 तक चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति के प्रधान रहे एवं 1967 में विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए।

श्री नन्दवाना 1967 से 1969 तक विधान सभा की प्राक्कलन समिति तथा 1970-7 में सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के सदस्य रहे।

सदन एवं सदन की समितियों में श्री नन्दवाना की सेवाएं सराहनीय रहीं। 16 दिसम्बर, 1971 को अल्पायु में ही श्री नन्दवाना का निधन हो गया। मैं उनके परिवार के प्रति सम्वेदना प्रकट करता हूं तथा उनकी आत्मा को शान्ति मिले तथा उनके परिवार को शान्ति मिले इसकी परमात्मा से प्रार्थना करता हूं और अपनी तथा सदन की ओर से दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धान्जलि अर्पित करता।

श्री बरकतुल्ला खां (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं एक चीज और इसमें जोड़ना चाहता हूं अगर आपकी आज्ञा हो तो।

श्री अध्यक्ष : जी कहिये।

श्री बरकतुल्ला खां : और वह चीज यह है कि हमारे देश की सीमा पर और भारत पाक युद्ध के दौरान और बंगला देश की स्वाधीनता के दौरान युद्ध में हमारे

(श्री बरकतुल्ला)

जवानों ने और अफसरों ने बहुत बहादुरी के साथ दुश्मन का मुकाबला किया, अपने जान की बाजी लगाई, बहुत से मारे गये, बहुत से जख्मी हुए लेकिन देश के मान और इज्जत को बढ़ाया, देश के सम्मान को बचाया तथा देश का गौरव बढ़ाया।

तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप मुनासिब समझें तो इस शोक प्रस्ताव में इनको भी जोड़ लें और आसन से ही यह प्रस्ताव आए तो उत्तम होगा।

श्री अध्यक्ष : सदन के नेता महोदय ने जो उद्गार प्रकट किये हैं वे बहुत उचित है सदन में जो संवेदना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसमें यह भी जोड़ देता हूं।

वैसे बंगला देश में जो हमारे भाई शहीद हुए हैं, जिन जवानों, सैनिकों और सैनिक अधिकारियों ने अपने जीवन को बलि दी है और देश का नाम ऊंचा किया है, उनके प्रति भी हमें अपनी श्रद्धान्जलि अर्पित करनी चाहिये। मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से उन्हें भी श्रद्धान्जलि अर्पित कहता हूं और उनके परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर): बंगला देश के शहीदों के प्रति ही नहीं, पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा पर युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के प्रति भी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में सदन के दो दिवंगत सदस्यों के प्रति तथा भारत पाक युद्ध और बंगला देश स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो सैनिक शहीद हुए और जिन्होंने अपना खून बहाया और देश को आजाद रक्खा उन शहीदों के प्रति जो शोक संवेदना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उस पर मैं अपनी श्रद्धान्जलि अर्पित करता हूं।

श्री रामकुमार नन्दवाना जवान थे और जिस वक्त उनको मृत्यु हुई मैं अस्पताल में पहुंचा था। उनके भाई का भी जवानी में ही देहान्त हो गया था। हमें बहुत आशायें थीं और उन आशाओं के जरिये हम यह समझते थे कि बहुत ठोस कार्यकर्ता के नाते राजस्थान की सेवा कर सकेंगे लेकिन ईश्वर को मंजूर नहीं था और जवानी में ही चले गये।

स्वामी कुमारानन्दजी के जीवन की किताब को पढ़ें तो प्रेरणा मिलती थी और उनकी किताब से प्रेरणा मिलती है। वे ढाका में पैदा हुये थे और ढाका में ही अपना जीवन शुरू किया था। उसके बाद इन्कलाब के नारे के साथ बढ़ते गये। उन्होंने कभी अपनी जीवन की ओर लौटकर नहीं देखा और देखा तो यही कि जनता की सेवा कितनी हो सकती थी। जिस पोलिटिकल पार्टी में वे विश्वास रखते थे अन्तिम दम तक उसी पोलिटिकल पार्टी में विश्वास रखा। मैं समझता हूं कि स्वामी कुमारानन्दजी के चले जाने से राजस्थान में ही नहीं बल्कि सारे भारत में जबरदस्त कमी हुई है और वह कमी बहुत आसानी से पूरी नहीं हो सकती है। इसके साथ साथ हमारे अफसरों और जवानों ने हमारी सीमा पर बहादुरी के साथ लड़कर अपनी जानें दी हैं, अपना खून

(श्री बरकतुल्ला खां)

बहाया है, देश पर बलिदान हुये हैं लेकिन देश को आजाद रखा, उन सबके लिये यह सदन सबकी ओर से श्रद्धांजली भेंट करता है और जिन्होंने वीर गति प्राप्त की है उनके लिये हम यह दुवा करते हैं कि उनकी आत्मा को शान्ति मिले जो जख्मी हुये हैं उनके शीघ्र स्वस्थ्य होने की कामना करता हूं और यह सदन विश्वास दिलाता है कि हम उनकी पूरी देखभाल करेंगे। मैं यहां यह कहे बिना नहीं रह सकता हूं कि हमें उन जवानों के दम पर और अफसरों के दम पर ही यह मौका मिला है। क्योंकि आज भारत का सिर दुनियां में ऊंचा हुआ है इसलिये आज के दिन हम उनको याद करते हैं और हमेशा याद रखेंगे।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव सदन के समक्ष है उसका समर्थन मैं आदर और श्रद्धा के साथ करता हूं। जो बहादुर अपने देश की आजादी कायम रखने के लिये, देश की आन, मान और शान को कायम रखने के लिये, पाकिस्तान के युद्ध में काम आये है वीर गति को प्राप्त हुये हैं उनकी स्मृति अजर अमर है। उनके प्रति मेरे दल की ओर से और मेरी ओर से श्रद्धान्जलि अर्पित करता हूं और दिवंगत आत्माओं को चिर शान्ति के लिये ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। साथ ही इस पाक संघर्ष से जो हमारे बहादुर सिपाही और अफसर जख्मी हुये हैं उनके प्रति सदन के नेता ने जो भावनायें व्यक्त की हैं उसका में समर्थन करते हुये निवेदन करूंगा कि हर एक सरकार और हर सभ्य नागरिक का पुनीत कर्तव्य है कि उनको हर तरह का सहयोग दें और उनके साथ सहानुभूति रखें और उनकी क्षति पूर्ति करायें।

स्वामी कुमारानन्दजी एक दृढ़ संकल्प, एक त्यागी, एक क्रान्तिकारी और एक सिद्धान्तवादी व्यक्ति थे। उनको मैं व्यक्तिगत रूप से देश आजाद हुआ उसके कई वर्ष पूर्व से जानता था और व्यक्तिगत रूप से उनकी इज्जत करता था। ऐसे लोकप्रिय और व्यवहारशील सज्जन अब हमारे बीच में से उठ जाने के कारण जो राजस्थान को क्षति हुई है उसकी पूर्ति होना कठिन है। मैं दिवंगत आत्मा की चिर शान्ति के लिये प्रार्थना करते हुये उनके शोक सन्तप्त परिवार के प्रति मेरे दल की ओर से तथा मेरी ओर से हार्दिक सहानुभूति तथा संवेदना व्यक्त करता हूं।

श्री नन्दवाना जी एक कांग्रेस के कर्मठ और होनहार युवा नेता थे। उनके आकस्मिक निधन के कारण उनके क्षेत्र में जो खामी पड़ी है। उसकी पूर्ति होना कठिन है। स्वर्गीय श्री नन्दवाना जी की आत्मा के लिये चिर शान्ति की प्रार्थना करते हुये मेरे दल की ओर से तथा मेरी ओर से उनके शोक सन्तप्त परिवार को हार्दिक संवेदना प्रकट करते हुये मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज वास्तव में जब इस शोक प्रस्ताव पर हम विचार करते हैं तो सबसे पहले आजीवन क्रान्तिकारी स्वामी कुमारानन्दजी के जीवन की ओर मेरा ध्यान जाता है जिन्होंने आजीवन क्रांति की मशाल को जलाये रखा। देश जिस समय

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

पराधीन था उस समय जिस बेचनी के साथ संघर्ष किया वह मुझे अच्छी तरह याद है । वे कमरे में बन्द होकर अपने हाथों से मुक्का मारा करते थे, बेचन हो जाते थे । देश की आजादी के लिये वे कभी कभी इतने अधीर हो जाते थे कि अपने सिर को पटक पटककर और मुक्के मार मार कर लहुलुहान हो जाते थे लेकिन उनसे सहन नहीं हो सकता था कि इतना बड़ा देश पराधीन रहे । वे सत्य निष्ठ थे । मुझे याद हैं उनके एक जीवन की समाप्ति तो अभी हुई लेकिन 62 से 57 तक वे एक विधायक के रूप में चुनकर आये उनके विरूद्ध चुनाव याचिका हुई । उस समय उन्होंने सत्यनिष्टा का जो परिचय दिया वह आज भी जन मानस पर अंकित है । उनसे कहा गया यदि साक्षी के रूप में आप यह बात स्वीकृत कर सकेंगे तो इसके कारण आपका जो विधायक का जीवन है वह समाप्त नहीं होगा नहीं तो आपका विधायक का जीवन समाप्त हो जायगा । स्वामी बोले में सत्य को अधिक महत्व देता हूं और उन्होंने जो बयान दिये, न्यायपालिका के सामने इस बयान की स्वीकृति के कारण से उनको यहां का जीवन समाप्त करना पड़ा लेकिन वे हमेशा जन मानस पर सत्यनिष्ठा की छाप छोड़ गये । स्वामी कुमारानन्द जी का जीवन केवल इस पीढ़ी के लिये ही नहीं बल्कि आने वाली पीढी को भी प्रेरणा देता रहेगा । उनका जीवन देश के अन्दर प्रगति, देश के अन्दर विकास, देश में क्षमता और नियंत्रण लाने के लिये कटिबद्ध था । यही सबसे बड़ी उपलब्धि उस महा पुरुष में थी ।

जहां तक स्व. नन्दवाना जी का सवाल है सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता थे । जैसा पूर्व वक्ताओं ने बताया उनके जाने से कमी हुई है, ईश्वर उनकी आत्मा को सुख एवं शान्ति प्रदान करे ।

जहां भारत पाक संघर्ष का प्रश्न है जिन महान जवानों ने भारत माता को अपना रक्त दिया है वह सराहनीय ही नहीं है अपितु उनके लिये कहने के लिये कोई शब्द ही नहीं है । कई माताओं की गोदें सूनी हो गई हैं, बहनों का सिन्दूर पूछ गया है । यह विश्व के ऐतिहास के अन्दर एक मिसाल है । आज किन शब्दों में श्रृद्धान्जलि दें, उसके लिये तो कोई भाषा ही नहीं है । हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि इस राजस्थान की परम्परा रही है । महाराणा प्रताप जैसे वीर हुये हैं जिन्होंने स्वतन्त्रता के लिये जीवन भर लड़ाई की और लड़ाई ही नहीं की बल्कि चिरकाल तक जंगलों की खाख छानकर आजादी का बिगुल बजाया । उसी प्रकार इस भारत पाक संघर्ष में हमारे बहादुर जवान लड़ाई का बिगुल बजाते हुये वीर गति को प्राप्त हुये हैं जिस प्रकार जवानों ने सब प्रकार का त्याग किया, सब प्रकार का बलिदान दिया वे हमें प्रेरणा देते रहेंगे । मैं कामना करता हूं मेरे दल की ओर से और मेरी ओर से कि उन सबको, उनके जीवन को और उनके परिवारों को सब तरह की सुविधायें दी जायें, सांत्वना दी जाये और जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान किया है और वास्तव में जिस प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य के समय कहा जाता था :

'शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले,
वतन पे मरने वालों का यही नामोनिशां होगा ।

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
आजादी के पश्चात् वास्तव में भारत पाक संघर्ष में जिन्होंने बलिदान किया उनकी गाथा स्वर्णाक्षरों में लिखी जायेगी।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : अध्यक्ष महोदय, स्वामी कुमारानन्दजी का जीवन एक खुली पुस्तक थी, पुस्तक भी वह जिसमें केवल त्याग और तपस्या है, साधना है और निष्ठा है। 28 साल जिनके जीवन के जेल में बीते हों ऐसा व्यक्तित्व भारतवर्ष में उनके समान देखने को नहीं मिलता। उन्होंने सारे जीवन का बहुमूल्य भाग जवानी का जेल में बिताया। स्वामी कुमारानन्द जी एक जलती हुई मशाल थे, एक शोला थे जो अन्त तक शोले के रूप में गये। जिनके जीवन का आरंभ एक आग के रूप में हुआ और समाप्त भी शोले की तरह से ही हुआ।

स्वामी कुमारानन्द जी का सानिध्य इस विधान सभा के प्रांगण पर हमको मिला और वे जैसे क्रान्तिकारी थे, वैसे ही वे स्नेही भी थे। उनका सानिध्य प्राप्त कर लोग अपने आपको भाग्यशाली समझा करते थे। स्वामी कुमारानन्द जी के सेवाओं की और बलिदान की प्रधान मंत्री ने भूरी भूरी प्रशंसा की। राजनैतिक जीवन में जो आता है वह सत्ता की अभिलाषा और आशा लेकर आता है लेकिन स्वामी कुमारानन्द जी का व्रत और दृढ़ संकल्प आजीवन देश की सेवा में बिताना अविवाहित होकर बिताना, सर्वस्व त्याग करके बिताना और देश की सेवा में अपना अन्त करना—ऐसा स्वामी जी का जीवन था। उनके निधन पर सारे राष्ट्र में शोक व्याप्त हुआ। यह हमारा सौभाग्य है कि उनका सानिध्य हमको इस विधान सभा के प्रांगण पर मिला। यहां भी उनको हमने जन सेवा में, किसानों और मजदूरों की सेवा में, अभाव अभियोगों के निराकरण के प्रश्न पर जलते हुए और प्रायश्चित करते हुए देखा। ऐसा महापुरुष जिसका जन्म हमारे राष्ट्र के लिए गौरव था उस महापुरुष की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए मैं प्रार्थना करता हूं।

दूसरा निधन का प्रस्ताव भारत पाक युद्ध के समय जिन वीरों ने अपने जीवन का बलिदान किया उससे सम्बन्धित है। हमें इस बात का गौरव है कि राजस्थान के वीरों ने न केवल अपने बलिदान एवं साहस द्वारा ही हमारे इतिहास को उज्जवल रखा, लेकिन राष्ट्र के स्तर पर जो शौर्य और वीरता का परिचय दिया वह स्वर्णाक्षरों में लिखा जायेगा। मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि उनका बलिदान सदा सर्वोपरि रहा है। राजस्थान के प्रांगण पर हमारे शूरमाओं ने जो वीरता दिखाई और शौर्य का परिचय दिया उनकी वीरांगनाओं, एवं उनके परिवारों की देखरेख का बहुत बड़ा दायित्व हम पर आता है। अमुमन जब युद्ध के समय हम सजग होते हैं और युद्ध के बाद हमारी सजगता शनैः शनैः धीमी होती जाती है। मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिन सैनिकों ने अपनी वीरता का परिचय देकर देश का नाम ऊंचा किया उनके प्रति सरकार सजग रहेगी।

श्री नन्दवाना जी जिस आयु में गये वह आयु ऐसी कम थी कि जो हर एक को दर्द दे सकती है। वे सक्रिय कार्यकर्ता थे सामाजिक क्षेत्र में और उनका अभाव राजस्थान की राजनीति में खटकने वाला है। मेरा

(श्री निरंजनाथ आचार्य)

विश्वास है कि उनके अभाव से जो क्षति हुई है उस जिले में उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। मैं उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, स्वामी कुमारानन्दजी का निधन हुआ, वे हमारी पार्टी के एक महान नेता थे। उनके निधन से न केवल कम्युनिस्ट पार्टी या मजदूर आन्दोलन को एक भारी ठेस लगी है बल्कि जैसा दूसरे माननीय सदस्यों ने कहा कि वे न केवल राजस्थान बल्कि हिन्दुस्तान के कुछ इनेगिने क्रांतिकारी नेताओं में थे जिनका सारा का सारा जीवन एक प्रेरणा का श्रोत रहा है और आने वाली पीढियों के लिए रहेगा। व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूं, कितने ही नौजवान लोग मेरे जैसे जो स्वामी जी से प्रेरणा लेकर कम्युनिस्ट पार्टी की ओर आकर्षित हुए। स्वामीजी अपने बचपन से ही ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ते रहे। उनके पिता एक हाई आफिसर्स में से थे और कमिश्नर होते हुए उनकी अभिलाषा थी कि स्वामीजी एक आई. सी. एस. आफिसर बने। वे चाहते थे कि आई. सी. एस. के कम्पीटीशन में बैठे और यह पेशकश उन्होंने स्वामी जी के सामने की लेकिन स्वामी जी ने इसका तिरस्कार किया और कहा कि आप बेशक गुलामी की जिन्दगी बरदाश्त कर सकते हैं लेकिन मैं अपने भारत देश को आजाद कराने के लिए अपना जीवन लगाना चाहता हूं। मुझे कोई इस प्रकार की इच्छा नहीं है कि मैं नौकरी करके धन कमाऊ या ऐश्वर्य कमाने की चेष्टा करूं और दरअसल मैं स्वामी जी का नाम जो कुमारानन्द पड़ा वह तो उन्होंने शासकों से बचने के लिए और भूमिगत रहने के लिए यह नाम बदला था। उनका वास्तविक नाम तो विजेन्द्रनाथ नाग था और उनके भाई डाक्टर नाग दिल्ली में अभी भी होमियोपैथी की प्रेक्टिस करते हैं और स्वामी जी 18-19 साल की आयु से ही ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ क्रांतिकारी तरीके से आन्दोलन करके संघर्ष में जुट गये और अनुशीलन कमेटी के सदस्य थे, हथियारबन्द लडाई के लिए इन्होंने तैयारी की और फिर वे सरदार भगतसिंह की पार्टी के सदस्य बने और उसके जरिये हिन्दुस्तान को आजाद कराने की कोशिश की। वे इस प्रकार की लड़ाईयां लड़ते हुए और अंग्रेजों की छाया से बचते हुए कलकत्ता से कन्याकुमारी तक पैदल यात्रा उन्हें करनी पडी और अपने आपको बचाते हुए अपना काम करते रहे क्योंकि ब्रिटिश हकूमत उनके पीछे बुरी तरह से पड़ी हुई थी। इसके बाद स्वामी जी इस नतीजे पर पहुंचे कि बिना जन आन्दोलन के और केवल कुछ लोग कुर्बानी कर जायें और कुछ लोगों को खतम कर दिया जाये इससे साम्राज्यवाद खतम नहीं किया जा सकता इसलिए महात्मा गांधी से प्रेरित होकर वे भारतीय कांग्रेस की ओर प्रेरित हुए उसके सदस्य बने और कांग्रेस के अन्दर जाकर भी वह वामपक्षी राजनीति, क्रांतिकारी राजनीति को कांग्रेस के अन्दर ले गये। उस समय जब कि कांग्रेस में यह बहस चल रही थी कि आया कि हम केवल होम रूल, डोमिनियन स्टेटस ही प्राप्त करें या फुल इण्डीपेंडेंस ली जाय। स्वामीजी ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार यह प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में रखा कि हिन्दुस्तान को पूर्ण स्वराज्य प्राप्त

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

करना चाहिए और डोमिनियन स्टेटस प्राप्त करना यह हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए इस प्रकार स्वामीजी कांग्रेस के लेफ्टविंग के नेताओं में से एक थे। राजस्थान के स्वामीजी का बहुत पुराना सम्बन्ध कलकत्ता से स्थापित हो गया था। 1909 के अन्दर जब कि यहां व्यावर के सेठ दामोदरलाल राठी जो खुद क्रांतिकारियों को मदद करते थे, फाइनेंस करते थे, वे किसी सिलसिले में कलकत्ता आए हुए थे और वहां के क्रांतिकारियों ने स्वामीजी का परिचय कलकत्ता में उनसे कराया और वह एक सम्बन्ध स्थापित हुआ स्वामीजी का यहां राजस्थान में आने का। और जब गुजरात कांग्रेस के बाद क्रांतिकारियों के सामने यह प्रश्न पैदा हुआ कि क्रांतिकारी लोग कहां से महफूज रहकर सेफ रहकर अपना आन्दोलन चला सकते हैं ता राजस्थान के क्रांतिकारी आन्दोलनकारी श्री अर्जुनलाल सेठी, विजयसिंह पथिक, मोतीलाल तेजावत उनके नेतृत्व में आन्दोलन चल रहा था तो उससे प्रभावित होकर क्रांतिकारियों ने निश्चय किया कि स्वामीजी राजस्थान में रहे, कांग्रेसमैन बन कर रहें लेकिन वह क्रांतिकारी कार्य वहां पर छिप कर करें और तब से स्वामीजी सन 1921 में राजस्थान में आए और पहली बार लाल झण्डा फहरा कर उन्होंने बड़ा किसान सम्मेलन अजमेर जिले में किया और उसके बाद ब्यावर के अन्दर जो आज कपडा मिल की जो लेबर यूनियन हैं उसकी नींव स्वामी जी ने डाली जो आज भी वहां पर मजदूर वर्ग का नेतृत्व कर रही है।

अध्यक्ष महोदय, स्वामीजी ऐसे महान व्यक्ति थे जिनके जीवन के 27–28 वर्ष जेलों के अन्दर बीते हैं। जिनके सामने जीवन में और कोई लक्ष्य ही न हो सिवाय इसके कि अपने देश को आजाद कराना है आजादी आने के बाद भी स्वामीजी को कांग्रेस रैजिम में भी काफी समय जेल यातनाएं सहन करनी पड़ी हैं क्योंकि वे यह मानते थे कि केवल आजादी प्राप्त करना ही मात्र उद्देश्य नहीं है बल्कि देश में जब तक आर्थिक आजादी प्राप्त नहीं कर ली जाती तब तक हमारी आजादी अधूरी है और इसलिए वह अपनी वृद्धावस्था की उम्र में, उम्र की दृष्टि से वे वृद्ध जरूर थे लेकिन दिल और दिमाग से मैं समझता हूं कि नौजवानों से भी नौजवान थे और इसलिये मुझे याद है पिछले साल जब कि वह 75 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में पेट के रोग से उनका स्वर्गवास हुआ था उससे कुछ दिन पहले ही उनके दिमाग में यह बात थी कि हमें बड़ा जबरदस्त आन्दोलन करना है। जब हम यह कहते थे कि राजस्थान सामन्तों के दबाव में है, राजस्थान साम्प्रदायिकों के दबाव में है तो वह इस बात को सोचते थे कि जबरदस्त आन्दोलन, इस तरह का खड़ा करना है जिससे कि डेमोक्रेटिक फोर्सेज राजस्थान में आगे ले जाई जा सकें।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से स्वामी कुमारानन्द, न केवल राजस्थान की जनता के लिये, बल्कि तमाम देश की जनता के लिए, उनका जीवन एक प्रेरणादायक जीवन रहेगा। मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से उन महान आत्मा को अपनी श्रद्धांजली अर्पित करता हूं।

साथ ही रामकुमारजी, नन्दवाना हमारे सहयोगी इस सदन में रहे हैं। उनका सरल

Page No 9

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
स्वभाव, मिलनसार व्यक्तित्व था। बहुत नजदीक का सम्बन्ध तो मेरा उनसे नहीं हुआ परन्तु मैं जो उनके बारे में सुनता था उनकी लगन जनता के कार्य के प्रति बहुत ही अधिक थी। मैं उनके प्रति भी अपनी श्रद्धांजली अर्पित करता हूं।

इस देश में, अध्यक्ष महोदय, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, बंगला देश के साथ आन्दोलन को लेकर जो हमारी सेनाओं ने, हमारे देश की जनता ने जो महान अपनी जिम्मेदारी को निभाया है और उसमें जो लोग फौज में सैनिक के रूप में, आफिसर्स के रूप में या असैनिक लोग बम्बारी के कारण जो शहीद हुए हैं, उन शहीदों के लिए भी आज इस अवसर पर मैं श्रद्धांजली अर्पित करना चाहता हूं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से।

अध्यक्ष महोदय, यह युद्ध जो हुआ है, हिन्दुस्तान के इतिहास में अपने आप में एक नई किस्म का युद्ध था। यह बात नहीं कि हमारे देश की सेनाओं ने पहले शौर्य या बहादुरी न दिखाई हो। पहले भी हमारी सेनाओं ने बहुत बड़ी बहादुरी दिखाई है। यूरोप और अफ्रिका के मैदानों में दिखाई है, और जगहों पर भी दिखाई है, परन्तु वह बहादुरी हमारी सेनाओं ने हमारे देश के नेताओं के आदेश पर नहीं, हमारे देश के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए नहीं लेकिन जब हम गुलाम थे ब्रिटिश साम्राज्यवाद जिससे चाहता था हमें लड़ा देता था, उनके आदेश पर, उनको इच्छाओं के लिए हमारी देश की फौजें लड़ी और उन्होंने अपनी बहादुरी दिखाई, कुर्बान हुए, शहीद हुए उस पर भी हमें गौरव है लेकिन इतना गौरव नहीं। लेकिन यह युद्ध जो हुआ यह युद्ध हिन्दुस्तान ने अपने स्वार्थ के लिए नहीं लड़ा यह युद्ध हिन्दुस्तान ने अपने आप में, अपने देश के लिए कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं लड़ा बल्कि किन्हीं सिद्धान्तों के लिए लड़ा है, किन्हीं मूल्यों के लिए लड़ा है, और दूसरे देश के हितों की रक्षा के लिए लड़ा है। आज ही नहीं आजादी से पहले भी जब भी किसी भी देश ने अपनी गुलामी के विरुद्ध आवाज उठाई है, उनके प्रजातंत्र पर कुठाराघात करने की साम्राज्यवादियों ने कोशिश की है उसके विरुद्ध हर जगह हमारे देश ने आवाज उठाई है और अपने देश के गौरव को बढ़ाया है। हमें इस बात की खुशी है कि हम अपनी फौजें परतंत्र लोगों को गुलामी से मुक्त कराने के लिये भेज सकें। हम केवल प्रस्ताव पास करने तक ही सिमित नहीं रहे बल्कि यह पहला मौका था आजादी प्राप्त करने के बाद जब कि हम अपने पड़ौसी जनता के आन्दोलन में सक्रिय सहयोग देने के लिये आगे बढ़े। हमारे बंगाली पड़ौसी भाई, बंगाली जनता जो कि मुक्ति आन्दोलन लड़ रही थी और याहयाखां की फौजें ताकत के जोर से अपने बूट के नीचे, अपने जूते के जोर से उस आन्दोलन को कुचल रही थी तो उनकी मदद के लिए हमारे देश की जनता और हमारे देश की सरकार उठी, सब लोग उठे और हमारी फौजों ने, हमारी सेनाओं ने जो बहादुरी का काम किया वह इतिहास के अन्दर अमर रहने वाला है। जो अमिट छाप हमने दुनिया पर छोड़ी है उसे न केवल हमारे मित्रों ने भी सराहा है, इस युद्ध से

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जो अचिवमेंट हमने किया है वे उससे प्रभावित भी हुए हैं बल्कि जो हमारे दुश्मन हैं उनके दिलों पर भी इसकी दहशत पैदा हुई है कि जिससे वे हमारी तरफ इस तरह से गुर्रा कर देखने की कोशिश न कर सकें। यह ऐसी लड़ाई थी यो हमने लड़ी है और जिसमें कामयाबी हासिल की है हमारे इन बहादुर जवानों ने, बहादुर अफसरों ने और बहादुर सैनिक लोगों ने और जो लोग शहीद हुए हैं, उनकी कुर्बानियों से हमको यह गौरव प्राप्त हुआ है। इससे हम सब बहुत गौरवान्वित हुए हैं और इसलिए मैं इस सदन के अन्दर इस प्रस्ताव का जो, अध्यक्ष महोदय, आपने प्रस्तुत किया है उसका पूर्ण समर्थन करते हुए अपनी ओर से, अपने दल की ओर से, श्रद्धांजली अर्पित करते हुए, समर्थन करता हूं।

श्री **केदारनाथ** (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, स्वामी कुमारानन्दजी का जीवन एक संघर्ष और त्याग का जीवन था। जिन सेनानियों ने देश की आजादी को मोड दिया उन सैनिकों में स्वामीजी का प्रमुख हाथ रहा है। स्वामीजी अलग पार्टी में होने के बावजूद भी मेरा उनके साथ काफी सम्पर्क रहा है। राजस्थान में ट्रेड यूनियन को बिल्ट करने में उन्होंने शुरूआत की यहां पर काफी संघर्ष और सत्याग्रह किए। स्वामीजी हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे हमें।.....

भाई नन्दवानाजी ने अपने मीठे स्वभाव से हम सबको दोस्त बनाया। वे कांग्रेस के अच्छे कार्यकर्ता रहे।

इन्डो-पाक की लड़ाई में जो जवान फौजी अफसर वीरगति को प्राप्त हुए, उनके बारे में क्या कहा जाये दुनियां में ऐसी मिसाले कम मिलेगी। जो विश्वास, शौर्य, वीरता हमारे जवानों और फौजी अफसरों ने रण क्षेत्र में दिखाई है, ऐसी मिसालें हिस्ट्री में कम मिलेंगी और जो सिद्धान्तों के लिये वीरगति को प्राप्त हुए हैं उनकी मिसालें भी हिस्ट्री में मिलेंगी नहीं। हम यह मानते है कि हमारी जनता का मोरल बहुत ऊंचा है। सिद्धान्तों के लिये जो लड़ाई लड़ी गई है, सारा देश और आने वाली जेनरेशन उनके मेमोरियल के रूप में काम करेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट के लिये मौन रखेंगे।

(माननीय सदस्यों ने दो मिनट तक मौन रह कर दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की।)

(तीन शोक प्रस्ताव पारित किये गये।)

सभापति तालिका

श्री अध्यक्ष : मै माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि मैंने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 9 के अन्तर्गत निम्नांकित सदस्यों को सभापति तालिका के लिये मनोनीत किया है:-

1-श्री फूलचन्द जैन
2-श्रीमती मदन कौर
3-श्री रामानन्द अग्रवाल
4-श्री भानु कुमार शास्त्री

Page No 11

(श्री अध्यक्ष)

समितियों का मनोनयन

(क) कार्य सलाहकार समिति

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 212 के अन्तर्गत मैंने निम्नांकित सदस्यों को कार्य सलाहकार समिति के लिये मनोनीत किया है:–

1–श्री हरिदेव जोशी
2–श्री परसराम मदेरणा
3–श्री खेतसिंह
4–श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता
6–श्री लक्ष्मणसिंह
7–श्री गुमानमल लोढ़ा
8–विधानसभा के अध्यक्ष अध्यक्ष

(ख) गृह समिति

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 249 के अन्तर्गत मैंने निम्नांकित सदस्यों को गृह समिति के लिये मनोनीत किया है:–

1–श्री भीमसेन (अध्यक्ष)
2–श्री हाजी उस्मान सदस्य
3–श्री मनोहर कोठारी सदस्य
4–बृजेन्द्रपालसिंह सदस्य
5–श्री गोकुलचन्द सदस्य

सभा की कार्यवाही···

श्रीमती कांता कथूरिया : जिन सदस्यों ने ओथ नहीं ली है उनसे ओथ करा ली जाये।

श्री अध्यक्ष : कल 11 बजे···

श्रीमती कांता कथूरिया : उन्हें नुकसान होगा। मैंने यह कहना उचित नहीं समझा परन्तु यह शोक प्रस्तावों के पहले होना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष : अभी तो इसका नौटिफिकेशन भी नहीं आया है।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदन्तर सदन की कार्यवाही मध्यांह 1–15 बजे कल दिनांक 22 मार्च, 72 को प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की गई।)

परिशिष्ट 1

माननीय सदस्यगण,

पांचवें आम चुनाव के बाद नई विधान सभा के इस प्रथम सत्र के अवसर पर आपको सम्बोधित करते हुए मुझे अत्यन्त हर्ष हो रहा है। आप सबकी विजय के लिए मैं बधाई देता हूं और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस पांचवें विधान सभा के आम चुनावों का शान्तिपूर्ण एवं सुचारू ढंग से सम्पन्न हो जाना राष्ट्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। इन चुनावों से पुनः मतदाताओं की परिपक्वता, अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता एवं जनतन्त्र में सुदृढ़ आस्था और अधिक स्पष्ट हो गई है। वास्तव में भारतीय मतदाताओं ने विश्व के सबसे बड़े जनतन्त्र के अंग होने का दायित्व पूर्ण रूप से निभाया है जो एक गौरव की बात है।

2. राज्य में पांचवें आम चुनाव सद्भावना एवं सुचारु रूप से सम्पन्न हुए। इस बार विधान सभा की 184 सीटों में से एक सीट पर निर्विरोध चुनाव हो जाने के बाद 183 सीटों के लिए चुनाव हुआ और इन सीटों के लिए चुनाव मैदान में 874 उम्मीदवार थे। 18 हजार 618 मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं ने मतदान किया जो कुल मतदाताओं की संख्या का 58.27 प्रतिशत रहा। इस महत्वपूर्ण कार्य को संचालित करने के लिए मतदान केन्द्रों पर विभिन्न स्तरों के 35 हजार राज्य कर्मचारियों को नियोजित किया गया। इतने व्यापक कार्य को इस तरह शान्ति, शीघ्रता एवं सुगमता से सम्पन्न करने के लिए चुनाव-कार्य में नियोजित सभी राज्य कर्मचारीगण प्रशंसा के पात्र हैं।

3. चुनाव के सन्दर्भ में सरकार का दायित्व और अधिक बढ़ गया है। गरीबी हटाने और समाजवाद के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये और अधिक व्यापक कार्यक्रम लागू करने के लिये सरकार वचनबद्ध है। भारतीय संविधान में 26 वें संशोधन के द्वारा प्रीवीपर्स और राजाओं के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया है। देश में इसका सबसे अधिक एवं अनुकूल प्रभाव राजस्थान में पड़ा है। यह समानता पर आधारित समाज की स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीनों को जमीन आवंटित करने का कार्यक्रम और तेजी से लागू करने का दायित्व सरकार पर है। साथ ही कृषि-भूमि पर सीलिंग कानून को भी कड़ाई से लागू करने के लिए सरकार कृत-संकल्प है। ग्रामीण जनता को आवास हेतु जमीन देने का कार्यक्रम भी और तेजी से लागू किया जा रहा है। उत्पादन-कार्यों के लिए अधिक एवं सुविधा पूर्वक ऋण दिलवाने की व्यवस्था की जा रही है जिससे पैदावार भी बढ़े और ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा रोजगार की सुविधायें उपलब्ध हों। पंचायतों के चुनाव लम्बे अर्से से रुके पड़े हैं इनको सरकार शीघ्र करवाने की व्यवस्था कर रही है। सरकार का निश्चय है कि शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए एक विधेयक इसी वर्ष इस सदन में प्रस्तुत किया जावे। कच्ची बस्तियों में रहने वाली जनता के लिए पानी, बिजली व सड़कों की

(श्री अध्यक्ष)

व्यवस्था करने के लिए पूर्व में दिये गये आश्वासनों को काफी हद तक पूरे करने का प्रयास किया गया है और शेष रहे कार्यो को भी शीघ्र पूरा किया जा रहा है। विश्वविद्यालयों की कार्य प्रणाली में सुधार एवं उनके प्रशासन में विद्यार्थियों का भी प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से भी एक विधेयक राज्य सरकार इसी वर्ष इस सदन में प्रस्तुत करेगी। तकनीकी क्षेत्र में व्याप्त बेरोजगारी समस्या के निवारण हेतु सरकार और अधिक प्रयत्नशील है। राज्य के सीमित वित्तीय साधनों के सम्बन्ध में राज्य सरकार अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से विशेष योजनाओं पर अधिक सहायता प्राप्ति का प्रयत्न कर रही है जिससे कि राज्य के विकास की रफ्तार अधिक तेज हो।

4. हाल ही में हुए ऐतिहासिक भारत-पाक संघर्ष का भी मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा। देश पर थोपे गए इस युद्ध से हमें केवल सैनिक सफलता ही नहीं मिली है बल्कि हमारे प्रिय एवं मौलिक सिद्धान्तों जैसे धर्म-निरपेक्षता एवं जनतन्त्र की महान विजय हुई है। 3 दिसम्बर, 1971 को पाकिस्तान द्वारा अचानक हमले में राजस्थान के कुछ शहरों पर भी बमबारी हुई पर हमारी सेना एवं सीमा सुरक्षा-दल ने स्थिति का हिम्मत व बहादुरी से मुकाबला किया और अधिकांशतः युद्ध को पाकिस्तान के क्षेत्र में सीमित रखा। लोंगेवाला की तरफ पाकिस्तान ने जो आक्रामक कार्यवाही की उसमें उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा और उसे पीछे हटना पड़ा। राज्य भर में और विशेष रूप से सीमा-क्षेत्रों की जनता का मनोबल सराहनीय रहा। राज्य सरकार ने युद्ध के दौरान सेना को पानी, यातायात, संचार, चिकित्सा एवं अन्य प्रकार की सब आवश्यक सुविधायें तथा समर्थन समय पर उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं रखी और युद्ध के दिनों में सेना और राज्य सरकार के बीच ताल-मेल सराहनीय रहा। इस युद्ध में वीरगति पाने वाले योद्धाओं एवं नागरिकों के प्रति श्रद्धान्जली अर्पित करता हूँ और उनके परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ तथा युद्ध में घायल हुए योद्धाओं के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। वीरगति प्राप्त योद्धाओं के आश्रितों एवं अपंग हुए योद्धाओं को राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की सहायता दी जा रही है, जैसे नकद पुरस्कार, भूमि-आवंटन आदि। भारत सरकार द्वारा सम्मानित अन्य योद्धाओं को भी राज्य सरकार नकद अनुदान, भूमि-आवंटन आदि द्वारा सम्मानित कर रही है।

5. भूमिहीनों को भूमि का आवंटन, काश्तकारों तथा ग्रामीण जनता के आर्थिक विकास एवं उनके जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने की ओर सरकार हमेशा प्रयत्नशील रही है। भूमि-आवंटन के साथ-साथ ऐसे भूमिहीनों, जिन्होंने राजकीय भूमि पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा था, के मामलों में भी सहानुभूतिपूर्वक विचार कर निर्णय लिया गया है कि 1 जनवरी, 1971 तक जिन व्यक्तियों ने सरकारी कृषि-भूमि पर अनधिकृत कब्जा कर काश्त की है उनके कब्जों को भी विनियमित कर दिये जावें। इसके साथ-साथ अधिक से अधिक भूमिहीनों को निर्धारित सीमा में भूमि उपलब्ध कराने

(श्री अध्यक्ष)

हेतु भूमि आवंटन नियमों में भी ढील बरती जाकर ये सीमाएं कम कर दी गई हैं।

6. भूतपूर्व नरेशों की भूमि अवाप्त करने हेतु बनाए गए अधिनियम को राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और अधिनियम के कुछ प्रावधानों को उच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया जिसके फलस्वरूप नरेशों की भूमि अवाप्ति सम्बन्धी कार्य में अड़चन पैदा हुई। कृषि-भूमि के अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है; और अब तक 57 हजार 964 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की जा चुकी है जिसमें से 8 हजार 546 एकड़ भूमि भूमिहीन कृषकों को वितरित भी की जा चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की समस्या को हल करने की दृष्टि से खातेदारी भूमि को आबादी में एक निश्चित सीमा तक निःशुल्क परिवर्तित कराने हेतु नियम जारी किये गये हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी सिवाय चक भूमि या गोचर भूमि पर अथवा गैर मुमकिन या वन-भूमि पर रहने के मकान तथा बाड़े बना लिए हैं ऐसे व्यक्तियों को भी राहत देने की दृष्टि से कुछ क्षेत्रों को छोड़कर 500 वर्ग गज तक भूमि में 31 दिसम्बर, 1970 के पूर्व निर्मित ऐसे मकान तथा बाड़ों का भी नियमन करने का प्रावधान किया गया है।

7. उपनिवेशन विभाग द्वारा राजस्थान नहर योजना क्षेत्र के प्रथम चरण में लिफ्ट क्षेत्र के सूरतगढ़, बीकानेर, लूणकरणसर के गांवों में लगभग 99 हजार बीघा जमीन का सर्वेक्षण किया गया है। विभाग द्वारा 5 हजार 632 बीघा भूमि का एकीकरण भी किया गया है। वर्ष 1971–72 में विशिष्ट श्रेणी के लगभग 45 व्यक्तियों को 1 हजार 73 एकड़ भूमि का अस्थायी आवंटन किया गया तथा चालू वर्ष में 11 कृषि-स्नातकों को 275 बीघा क्षेत्र का आवंटन हो चुका है। पोंग डेम से आये विस्थापितों के करीब 257 परिवारों को एक हजार 400 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है। राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में गैर-दखिलकारों को कृषि-भूमि का आवंटन किया गया है और करीब ऐसे 793 परिवारों को लगभग 17 हजार बीघा भूमि आवंटित करदी गई है। उपलब्ध सिंचाई-क्षमता का पूर्ण सदुपयोग करने हेतु वर्ष 1971–72 में 14 हजार भूमिहीन परिवारों को कृषि-भूमि का अस्थायी आवंटन किया गया जिनमें 10 हजार सवर्ण और 4 हजार अनुसूचित जाति के परिवार हैं। कुल 4 लाख 2 हजार बीघा भूमि कृषि हेतु आवंटित की गई तथा 9 हजार परिवारों को 1 लाख 55 हजार बीघा भूमि का नवीनीकरण किया गया।

8. राजस्थान में वनों का विकास-कार्य प्रगति पर है। चालू वित्तीय वर्ष में चारागाह-सुधार, परिभ्रंशित (Degraded) वनों का पुनर्वास, आर्थिक वृक्षारोपण, राजस्थान नहर परियोजना में वन-विकास, वन्य पशु-पक्षियों का संरक्षण, वन सीमांकन तथा बन्दोबस्त के पुराने कार्यों की आयोजना का पुनर्निर्माण, वनों की सुरक्षा और पहाड़ी कन्दरा तथा रेतीले क्षेत्रों में भू-संरक्षण के कार्यक्रम क्रियान्वित हो रहे हैं। ऐसे ही कार्य 1972-73 में चलेंगे। इसके अतिरिक्त कई केन्द्रीय

(श्री अध्यक्ष)

योजनाएं भी चल रही हैं। बाड़मेर जिले में मरुस्थल विकास योजना के अन्तर्गत चारागाह-सुधार कार्य, परिभ्रांषित वनों के पुनर्वास, ऊसर भूमि-सुधार कार्य, सड़कों के किनारे वृक्षारोपण व पौध-शालाओं के निर्माण-कार्य लेने व पूर्व में लिये गये कार्यों को पूर्ण करने की योजना है जिसके लिए लगभग 85 लाख रुपये की राशि अगले वित्तीय वर्ष में व्यय की जावेगी। वन संसाधन (Resources) सर्वेक्षण की केन्द्रीय योजना भी चल रही है। लकड़ी, कोयला तथा बल्लियों के कार्य में ठेकेदारी प्रथा 1968 में समाप्त की गई तब से विभागीय प्रणाली चालू है जिससे आय में व वन-श्रमिकों को रोजगार देने में लगातार वृद्धि हो रही है। लकड़ी व कोयले की कीमतों में स्थिरता लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 14 विक्रय-केन्द्र भी स्थापित किये हैं।

9. बहुउद्देशीय, मध्यम एवं लघु-सिचाई योजनाओं का कृषि के क्षेत्र में काफी महत्व है। वर्ष 1971-72 में सिंचाई योजनाओं के लिए 21.95 करोड़ रुपये का प्रावधान था जो गत वर्ष से 170 प्रतिशत अधिक था। भाखरा नहर का निर्माण-कार्य सम्पूर्ण हो चुका है और इससे राज्य में, व्यापक रूप से सिंचाई की जा रही है। इस नहर से 2 लाख 28 हजार हैक्टर क्षेत्र में प्रति वर्ष सिंचाई होने का प्रावधान था किन्तु अब इस नहर से 2 लाख 48 हजार हैक्टर क्षेत्र में प्रति वर्ष सिंचाई की जा रही है। इसी प्रकार चम्बल घाटी योजना के अन्तर्गत कोटा बैराज तथा बांई व दांई नहरों का निर्माण-कार्य भी पूरा किया जा चुका है किन्तु बाद में सीपेज की समस्या के लिए नाला बनाने, नहरों को पक्का बनाने आदि के कार्य अभी पूरे किये जा रहे हैं। इस योजना से चालू वर्ष में 1.51 लाख हैक्टर भूमि में सिंचाई होने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त गुड़गांव नहर परियोजना एवं माही योजना का कार्य चल रहा है। राज्य में लघु-सिंचाई योजनाओं के लिए इस वर्ष 200 लाख रुपये का प्रावधान था जिसके अनुसार कार्य प्रगति पर है। मध्यम सिंचाई योजनाओं में बड़गांव, ओराई, खारी फीडर, सेई जाखम, मेजा फीडर तथा जैतपुरा आदि पर कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। कुछ बांधों को जो सिंचाई के लिए उपयोगी हैं, ऊंचा बनाने का कार्य भी किया जा रहा है।

10. राजस्थान नहर राज्य के भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजना है और इससे बीकानेर, गंगानगर व जैसलमेर जिलों में लगभग 31.24 लाख एकड़ भूमि में वार्षिक सिंचाई की जा सकेगी। युद्ध की गतिविधियों के कारण इस कार्य में कुछ रुकावटें आई किन्तु फिर भी मुख्य नहर के प्रथम चरण में 88 मील का कार्य पूर्ण हो चुका है और 88 से 124 मील तक का कार्य प्रगति पर है। इस वर्ष जनवरी तक 3.35 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई हो चुकी थी और आशा है कि वर्ष के अन्त तक दोनों फसलों में लगभग 4.40 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी। गत वित्तीय वर्ष के अन्त तक इस नहर के निर्माण-कार्य पर कुल 72.36 करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं।

11. इसी प्रकार व्यास परियोजना है जिसमें व्यास नदी के जल को सिंचाई

Page No 16

(श्री अध्यक्ष)

व बिजली-उत्पादन हेतु उपयोग किया जावेगा। यह योजना दो यूनिटों में विभाजित है। पहली यूनिट व्यास सतलज लिंक, दूसरी पोंग पर व्यास बांध का निर्माण। पहली यूनिट से मुख्यतया बिजली का उत्पादन होगा एवं दूसरी से राजस्थान को सिंचाई व बिजली-उत्पादन के लिए बारह मासी पानी उपलब्ध होगा। दोनों यूनिटों के पूरा होने पर राजस्थान को अपने हिस्से में करीब 1⁻0 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो सकेगा। दोनों यूनिटों का कार्य तीव्र गति से प्रगति पर है और सम्भवतः सन् 1974 तक पूर्ण हो जायेगा। राजस्थान नहर सहित सभी सिंचाई योजनाओं से राज्य में अनुमानित 26.31 लाख हैक्टर भूमि में सिंचाई होगी।

12. विद्युत् क्षेत्र में ट्रान्समिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली के विस्तार को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है। विभिन्न विद्युत् योजनाओं से बिजली के उत्पादन में वृद्धि के फलस्वरूप कुल उपलब्ध बिजली (फर्म पावर) वर्ष 1970–71 में 248 मेगावाट से बढ़कर सन् 1971–72 में 288 मेगावाट हो गई है। वर्ष 1971–72 में करीब 13 हजार कुओं को बिजली पहुंचाई जाने का अनुमान है तथा 1 हजार नई बस्तियों का विद्युतीकरण भी हो जायेगा। उद्योगों को भी अतिरिक्त बिजली उपलब्ध होगी। हाल ही में विद्युत् मण्डल ने अजमेर की गैर सरकारी बिजली सप्लाई कम्पनी की मिलकियत को भी खरीद लिया है और अब वहां बिजली का वितरण मण्डल द्वारा किया जा रहा है।

13. विश्व बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से सहायता प्राप्त करने के लिए विशेष योजना का एक प्रकोष्ठ सितम्बर, 1970 में स्थापित किया गया है। इस प्रकोष्ठ द्वारा राजस्थान नहर के कमाण्ड क्षेत्र को पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए 200 करोड़ रुपये की एक योजना बनाई गई, जो विश्व बैंक के विचाराधीन है। पशु-धन के विकास क्षेत्र में भी 120 करोड़ रुपये की दो योजनाएं तैयार की गई हैं जिनकी भारत सरकार के विशेषज्ञों द्वारा जांच की जा रही है। दुग्ध विकास के लिए भी "आप्रेशन-फ्लड" नामक 4 करोड़ रुपये की योजना तैयार की गई है जिससे पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों को लाभ होगा एग्रीकल्चरल री–फाइनेन्स कारपोरेशन व एग्रीकल्चरल फाइनेन्स कारपोरेशन द्वारा इस प्रकोष्ठ से बनाई गई 7 लघु सिंचाई योजनाएं इसी वर्ष स्वीकृत की गई हैं व अन्य 12 योजनाओं के स्वीकृत होने की आशा है। इसी प्रकार की योजनाओं से विकास के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध होगी।

14. कृषि के क्षेत्र में खाद्य-उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है, जहां वर्ष 1970-71 में 76 लाख टन खाद्यान्नों का उत्पादन होने का अनुमान था वहां वास्तविक उत्पादन 88.12 लाख टन हुआ। वर्ष 1971-72 में राज्य के कुछ जिलों में प्रतिकूल मौसम व कुछ फसलों में बीमारियों के उपरान्त भी खाद्यानों का उत्पादन सामान्य ही रहने की आशा है। जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया था कि राज्य में खाद्यान्नों के उत्पादन

(श्री अध्यक्ष)

को बढ़ाने हेतु कृषि की आधुनिक विधियों को अधिक से अधिक अपनाया जा रहा है। अधिक उत्पादन देने वाली फसलों का कार्यक्रम प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा है। जहां वर्ष 1970–71 में 7 लाख हैक्टर भूमि में इन फसलों का उत्पादन किया गया था वहां इस वर्ष 8 लाख हैक्टर क्षेत्र में उत्पादन किया गया है। वर्ष 1972–73 में यही कार्यक्रम लगभग 12 लाख हैक्टर भूमि में लेने की योजना है।

15. उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए उर्वरक का प्रयोग प्रति वर्ष बढता जा रहा है। जहां वर्ष 1970–71 में 2 लाख 81 हजार टन विभिन्न उर्वरकों का वितरण किया गया था वहां वर्ष 1971–72 में 3 लाख 53 हजार टन का वितरण हो जाने का अनुमान है। यह वृद्धि लगभग 32 प्रतिशत है। वर्ष 1972–73 में लगभग 4 लाख 50 हजार टन उर्वरकों की खपत औसतन 25 से 30 प्रतिशत प्रति वर्ष बढ़ोतरी होगी। राज्य में उर्वरकों का प्रयोग बढाने हेतु एक नई पद्धति को अपनाया गया है जिसे "फोलियर अप्लीकेशन" कहते हैं और जिसमें पत्तियों द्वारा पौधे नत्रजन लेते हैं। वर्ष 1971–72 में यह कार्यक्रम गेहूं की फसल पर लगभग 1 लाख 75 हजार हैक्टर भूमि में लिया गया है। इसके अतिरिक्त इसके परिणाम अन्य फसलों पर जैसे कपास आदि पर बहुत ही संतोषजनक रहे हैं। वास्तव में कपास के ऊपर इस पद्धति द्वारा उर्वरक के छिड़कने का कार्य भारतवर्ष में सबसे पहले राजस्थान में प्रारम्भ किया गया।

16. पौध-संरक्षण कार्यों को भी काफी बढावा दिया गया है। सरसों में चेपा को रोकने के लिए अलवर, भरतपुर व सवाई माधोपुर जिलों में 24 हजार 400 हैक्टर भूमि में पौध-संरक्षण-कार्य किया गया। इसके अतिरिक्त फसलों को बचाने हेतु अलवर जिले में 2 हजार 856 हैक्टर भूमि में तथा श्रीगंगानगर जिले में 11 हजार 200 हैक्टर कपास में हवाई जहाज द्वारा दवाइयों का छिड़काव किया गया। वर्ष 1972–73 में करीब 40 हजार हैक्टर कपास पर हवाई जहाज द्वारा दवाइयां छिड़क कर पौध-संरक्षण कार्य करने का लक्ष्य रखा गया है और कुल पौध-संरक्षण कार्य का लक्ष्य 42 लाख हैक्टर का है। देश में कपास व तिलहन की फसलों में आत्म-निर्भरता लाने के लिए कई बड़े कार्य-क्रम राज्य में भी आरम्भ किये गये हैं। वर्ष 1971–72 में श्रीगंगानगर क्षेत्र में लम्बे रेशे वाली कपास की सघन कृषि-योजना 40 हजार हैक्टर भूमि में केन्द्रीय सहायता से आरम्भ की गई है। वर्ष 1972–73 में इस कार्य-क्रम को 60 हजार हैक्टर भूमि में चालू करने का लक्ष्य है। ईसी प्रकार राजस्थान नहर क्षेत्र में ऐसी ही किस्म की कपास की सघन कृषि लगभग 20 से 30 हजार हैक्टर भूमि में करने की एक नई केन्द्रीय योजना तैयार की गई है। वर्ष 1971–72 में श्रीगंगानगर जिले में कपास की बिक्री में कुछ बाधायें आई थीं। एक तो उत्पादन अधिक होने व दूसरे राष्ट्रीय संकट के आ जाने के कारण मण्डियों में खरीददार न होने से मूल्य एक दम गिर गए, परन्तु शीघ्र ही राज्य सरकार के प्रयासों से भारतीय कपास निगम की ओर से खरीद

(श्री अध्यक्ष)

का काम शुरू कर दिया गया जिससे कृषकों को काफी राहत मिली। ऐसी खरीद की व्यवस्था अगले वर्ष भी होगी।

17. तिलहन की फसलों का उत्पादन बढ़ाने हेतु केन्द्रीय सहायता से मूंगफली का सघन कृषि-कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। वर्ष 1971—72 में यह योजना चित्तौड़गढ़ व राजस्थान नहर क्षेत्र में लागू की गई है। वर्ष 1972—73 में इन क्षेत्रों के अतिरिक्त इसे अजमेर क्षेत्र में लागू किया जावेगा। सरसों की पैदावार को बढ़ावा देने के लिए राज्य के विभिन्न भागों में सघन कृषि-कार्यक्रम शुरू करने की योजना है इसके अतिरिक्त एक नई फसल 'सूर्यमुखी' जिसमें तेल की मात्रा अधिक होती है, के प्रदर्शन 1971-72 में लगाये गए थे, उसके परिणाम आशाजनक प्राप्त हुए हैं। इस कार्यक्रम को वर्ष 1972-73 में और भी बढ़ावा दिया जायेगा।

18. चीनी के उत्पादन की दृष्टि से यह वर्ष देश के लिए अनुकूल नहीं रहा। भारत सरकार द्वारा मई, 1971 में चीनी पर लगे सभी प्रतिबन्ध समाप्त कर दिये जाने से यहां भी उचित मूल्य की दुकानों से चीनी का वितरण समाप्त कर दिया गया था किन्तु कुछ ही माह बाद स्थिति में परिवर्तन हो जाने के फलस्वरूप राज्य में पुनः चीनी का वितरण उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था की गई।

19. 1970-71 में कृषि ऋण-दात्रि सहकारी समितियों द्वारा अपने सदस्यों को 16.33 करोड़ रुपये के अल्प व मध्यम-कालीन ऋण वितरित किये गये। 1971-72 में इससे अधिक ऋण-वितरण की आशा है। वर्ष 1972-73 में 23 करोड़ रुपये का ऋण वितरित करने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त दीर्घकालीन ऋण भी वितरित किये गये। 1971-72 में ये ऋण लगभग 6.50 करोड़ रुपये के होंगे तथा वर्ष 1972-73 में 9.50 करोड़ रुपये के दीर्घ-कालीन ऋण दिये जाने का लक्ष्य है। कताई मिल, गुलाबपुरा सम्भवतया अप्रेल, 1972 में उत्पादन-कार्य प्रारम्भ कर देगी। क्रय-विक्रय संघ द्वारा 6 चावल मिलें स्थापित की जा रही हैं जिनमें से 4 मिलों ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है। इसके अतिरिक्त संघ द्वारा नागौर में 24 लाख रुपये का ग्वांर से गोंद बनाने का कारखाना स्थापित किया जा रहा है।

20. वर्ष 1971-72 में जोधपुर में दुग्ध-वितरण योजना की क्रियान्विति चालू रही जो कि अगले वर्ष में पूर्ण होगी। शुरू में 1 हजार लीटर दूध रोजाना वितरण करने की पायलेट योजना चलाई जावेगी व बाद में पूर्ण योजना, जिसमें 20 हजार लीटर दूध वितरण करने की क्षमता हो, लागू की जावेगी। भेड़ों की नस्ल सुधारने के लिए विदेशों से अच्छी किस्म की भेड़े मंगवाई जा रही हैं। सीकर जिले के फतेहपुर में एक वृहत स्तर पर भारत सरकार की सहायता से भेड़ प्रजनन केन्द्र की योजना सिद्धान्ततः स्वीकार हो चुकी है।

21. औद्योगिक क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं एवं सहायताओं से उत्साहवर्द्धक प्रभाव पड़ा है। सन् 1970 तक की कुल पंजीकृत औद्योगिक इकाइयां,

(श्री अध्यक्ष)

जो कि 7 हजार 864 थीं, वर्ष 1971 तक बढ़कर 8 हजार 970 हो गई। 1970 व 1971 में क्रमशः 16 व 51 लैंटर आफ इन्टेण्ट अथवा सीओवी लाइसेन्स अथवा लाइसेन्स राज्य सरकार की सिफारिश पर बड़े उद्योगों को मिले। राजस्थान वित्त निगम द्वारा इन उद्योगों को लगवाने के निरन्तर प्रयास जारी हैं। चालू वित्तीय वर्ष में फरवरी, 1972 तक 205 संस्थानों को 244.75 लाख रुपये का ऋण दिया जा चुका है और वर्ष के अन्त तक लगभग 180 लाख रुपये के ऋण दिये जाने की संभावना है जब कि गत वर्ष इस निगम के माध्यम से 182 संस्थानों को 247.14 लाख रुपये का ऋण दिया गया था। ऋण प्राप्त कर्त्ता संस्थानों में लघु उद्योग का बाहुल्य है। राज्य सरकार एवं औद्योगिक विकास बैंक के सहयोग से निगम द्वारा राज्य के 16 पिछड़े जिलों में उदार शर्तों पर उद्योगों की स्थापना के लिए ऋण देने की योजना का क्रियान्वयन प्रगति पर है। इनमें से अलवर व जोधपुर जिलों में 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान विभिन्न नवीन उद्योगों को राज्य सरकार द्वारा केन्द्र से प्राप्त धनराशि के आधार पर दिया जावेगा। वित्त निगम द्वारा सुगम ऋण योजना भी लागू की गई है जिसके अन्तर्गत एक संस्थान को डेढ लाख रुपये तक का ऋण 6 प्रतिशत व्याज की दर पर उपलब्ध हो सकता है। प्रशिक्षित इन्जीनियरों के लिए और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। अप्रेल, 1970 से फरवरी, 1972 के अन्त तक निगम द्वारा 53 इन्जीनियरों को उद्योग स्थापित करने के लिए 62.40 लाख रुपये दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा भी इकाइयों को स्थापित करने के लिए ऋण दिया गया है।

22. राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम द्वारा अलवर में स्कूटर का कारखाना लगाया जा रहा है। इसकी उत्पादन क्षमता 24 हजार स्कूटर प्रति वर्ष होगी। इसके अतिरिक्त सोडा एश, कैल्शियम कारबाइट, ग्लास बोट्ल्स एवं कन्टेनर्स व सिन्थेटिक क्रापोलाईट तथा फ्लोराइट व थ्री-व्हिलर्स उद्योग जिनके लिए निगम को भारत सरकार द्वारा लैंटर आफ इन्टेण्ट मिल चुके हैं, को लगाने पर भी निगम विचार कर रहा है। निगम द्वारा जयपुर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर अलवर, चिडावा पाली इत्यादि में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया गया है एवं किया जा रहा है। निगम ने लर्न एण्ड अर्न योर इण्डस्ट्रीज स्कीम के अन्तर्गत 4 उद्योग, इन्जीनियरों के साथ सहयोग कर लगवाये हैं। राजस्थान लघु उद्योग निगम ने भी अपनी प्रगति का क्रम चालू रखा है। निगम द्वारा मशीनरी के लिए हायर-पर्चेज स्कीम हाल में लागू की गई है। निगम ने अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भी भाग लिया। यह उल्लेखनीय है कि वित्त निगम, राजस्थान राज्य औद्योगिक खनिज विकास निगम, एवं लघु उद्योग निगम ये तीनों सहकारी निगम लगातार मुनाफे में चल रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान के सभी जिलों में औद्योगिक सर्वेक्षण का कार्य विभिन्न संस्थानों के द्वारा करवाया जा रहा जो सम्भवतः दो वर्ष में पूरा हो जायेगा। राज्य सरकार द्वारा तकनीकी क्षेत्र में व्याप्त बेरोजगारी के निवारण हेतु भारत सरकार से सम्पादित एवं समर्थित क्रेश-प्रोग्राम की भी क्रियान्विति

(श्री अध्यक्ष)

विभिन्न निगमों द्वारा करवाई जा रही है। भारत सरकार से इस योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में 47 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं। अगले वर्ष इस योजना पर और अधिक कार्य होने की संभावना है।

23. भारत सरकार द्वारा ग्रामीण औद्योगिक विकास योजना के अन्तर्गत टोंक एवं बांसवाड़ा जिलों में भी प्राथमिक कार्य शुरू किये जा चुके हैं। सूती कपड़े की एडवर्ड मिल, ब्यावर का नियन्त्रण भी राज्य सरकार के सुझाव पर भारत सरकार ने राष्ट्रीय टैक्सटाइल निगम को दे दिया है (करतल ध्वनि) व इस मिल एवं महालक्ष्मी मिल, ब्यावर के पुनर्निर्माण का व्यापक कार्य राष्ट्रीय टैक्सटाइल निगम व राज्य सरकार के मिश्रित साधनों से शुरू किया गया है।

24. ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए इस वर्ष एक केन्द्रीय क्रेश योजना लागू की गई है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक जिले में एक हजार व्यक्तियों को रोजगार साल में दस मास के लिए मिलेगा। एक जिले में इस योजना के अन्तर्गत 12 लाख 50 हजार रुपये खर्च करने का प्रावधान है। यह योजना 1972-73 में भी लागू रहेगी। इस योजना के अन्तर्गत जिलों में लघु-सिंचाई, भू-संरक्षण, सड़क-निर्माण, वन व छोटे विकास आदि के कार्यों को हाथ में लिया जा चुका है। इस योजना के अन्तर्गत अब तक 998 निर्माण-कार्य स्वीकृत किये जा चुके हैं। वर्ष 1971—72 में केयर—फीडिंग प्रोग्राम के अन्तर्गत 128 पंचायत समितियों के 4 लाख बच्चों को मध्याह्न भोजन देने का लक्ष्य था। वर्ष 1972—73 में इसको बढ़ाकर प्रति दिन 5 लाख बच्चों को भोजन देने की योजना है (करतल ध्वनि)।

25. राज्य में पंचायतों के स्वरूप व सीमाओं आदि के सुधार व पुनर्गठन हेतु उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है।

26. वर्ष 1970—71 में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रारम्भ किए गए ग्राम्य निर्माण कार्यक्रम (Rural Works Programme) जिसका कि अब नया नाम 'अकाल प्रभावित क्षेत्रीय कार्यक्रम' (Drought Borne Areas Programme) है, के अन्तर्गत राज्य के 10 अत्यन्त अभावग्रस्त जिलों को चुना गया जिनके नाम हैं—जैसलमेर, बाड़मेर जालोर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, नागौर, पाली, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक जिले के लिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक दो करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान भारत सरकार ने रखा है। इसके अन्तर्गत इस प्रकार के उत्पादक कार्य किए जाते हैं जिनसे भविष्य में अभाव स्थिति की गम्भीरता इन जिलों में कम होगी। वर्ष 1970-71 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सिंचाई, वन एवं सड़कों के कार्य भारत सरकार से स्वीकृत कराए गए, लेकिन यह स्वीकृति देर से प्राप्त होने के कारण वर्ष 1970-71 में कार्यों के क्रियान्वयन में विशेष प्रगति नहीं हो सकी। इन स्वीकृत कार्यों का क्रियान्वयन वर्ष 1971-72 में सन्तोषपूर्वक चल रहा है। इसके साथ ही सिंचाई, सड़क, वन, भू-संरक्षण एवं पेय जल की क्षेत्रीय योजनाओं के नये कार्य वर्ष 1971-72 में भारत सरकार से स्वीकृत

(श्री अध्यक्ष)

कराये गए। इस प्रकार अब तक 16 करोड़ रुपये से अधिक के कार्यों की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है। शेष प्रावधान के अन्तर्गत नए कार्य जैसे सामूहिक नल-कूप योजना आदि को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत कराने के प्रयास जारी हैं।

27. राजस्थान नहर योजना क्षेत्र में 20 तथा अन्य स्थानों में 10 प्राथमिक पाठशालाएं इस वर्ष खोली गई। इसके अतिरिक्त राज्य में 400 प्राथमिक शालाओं को उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया गया। 90 पाठशालायें जो पंचायत समितियों द्वारा और 2 पाठशालायें जो नगरपालिकाओं द्वारा चलाई जाती थीं को राज्याधीन लिया गया। 203 माध्यमिक शालाओं को उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया गया। भरतपुर व भीलवाड़ा में छात्राओं हेतु और सवाईमाधोपुर में छात्रों हेतु महाविद्यालय प्रारम्भ किये गये। इस वर्ष राज्य में शिक्षकों में बेरोजगारी कम करने के लिये केन्द्रीय सरकार के योगदान से 2,630 अध्यापकों को रोजगार देने हेतु पद सृजित किये गये हैं। छात्राओं तथा अनुसूचित जन जाति, अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों की शिक्षा संख्यात्मक एवं गुणात्मक विकास करने सम्बन्धी योजनायें जैसे निःशुल्क पुस्तकें, लेखन सामग्री आदि की योजनायें प्रारम्भ की गई हैं। इस खर्चे के लिये केन्द्रीय सरकार से शत प्रतिशत अनुदान प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त किसान साक्षरता योजना व शिक्षा क्षेत्र में प्रगति हेतु प्रोजेक्ट्स केन्द्रीय सरकार की पूर्ण सहायता से चालू किये गये। आयु वर्ग 6-11, 11-14 एवं 14-17 में स्कूल जाने वाले छात्रों का प्रतिशत 58.8, 27.4 तथा 12.4 हो जाने का अनुमान है। शिक्षा को समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिये आगामी वर्ष में विशेष प्रयत्न किये जायेंगे।

28. इस वर्ष 13 जिला-स्तरीय अस्पतालों का उच्चीकरण किया गया तथा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 25 नई डिस्पेन्सरीज खोली गई जिनमें से 24 सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। 9 नए मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्रों की स्थापना की जा रही है। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन योजना के अन्तर्गत 2 नई क्लिनिक्स की स्थापना जालौर और नागौर में भी करदी गई है। परिवार नियोजन योजना के अन्तर्गत फरवरी, 1972 तक 2 लाख 25 हजार व्यक्तियों के नसबन्दी एवं 1 लाख 26 हजार लूप-प्रविष्टि की जा चुकी है। चेचक-उन्मूलन योजना के अन्तर्गत लगभग 28 लाख व्यक्तियों के टीके लगाये गये हैं। राज्य में रोहे-नियन्त्रण एवं कुष्ट रोग निवारण की योजना प्रगति पर है।

29. नगरीय क्षेत्र की पेय-जल समस्याओं के निवारणार्थ चालू वर्ष में 336 लाख रुपयों की 19 नई योजनाओं का कार्य हाथ में लिया गया है तथा इस वर्ष में लगभग 11 नगरीय जल-प्रदाय योजनाओं के कार्य सम्पूर्ण होने की संभावना है। ग्रामीण क्षेत्र में भी पीने का पानी उपलब्ध कराने में राज्य सरकार सजग रही है। वर्ष 1971-72 में 75 एवं 1972-73 में 90 और ग्रामीण जल-प्रदाय योजनाओं के सम्पूर्ण होने को

(श्री अध्यक्ष)

संभावना है। राज्य के मरुस्थलीय पश्चिमी भाग में पीने के पानी की समस्या अधिक जटिल है। राज्य सरकार इसके प्रति पूर्ण जागरूक है व अपने सीमिति साधनों में भी अधिकतम प्रयत्न करती रही है। राजस्थान नहर क्षेत्र में उपयुक्त पीने का पानी सुलभ करने के उद्देश्य से डिग्गियों का भी निर्माण किया गया है।

30. राजस्थान के तीन प्रमुख नगरों जयपुर, अजमेर एवं कोटा के लिए मास्टर प्लान के प्रारूप तैयार कर लिए गए हैं। उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अलवर आदि नगरों के मास्टर-प्लान तैयार किए जा रहे हैं। राजस्थान नहर की क्षेत्रीय योजना तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। हनुमानगढ़ मंडी तथा इस क्षेत्र की अन्य अनेक आवादियों की योजनाएं तैयार की जा चुकी हैं। राजस्थान आवासन बोर्ड के गठन के बाद वर्ष 1971-72 में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर में 1 हजार 183 आवास गृहों का कार्य हाथ में लिया गया है। वर्ष 1972-73 में 2 हजार 868 गृहों की योजना है। बोर्ड द्वारा अपंग, पुरस्कृत वीर सिपाहियों तथा मृत सिपाहियों के परिवारों को आवंटन में विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं।

31. भू-जल मण्डल द्वारा राज्य के विभिन्न भागों में सर्वेक्षण व कुए गहरे करने तथा नल-कूप निर्माण का कार्य प्रगति पर है। राज्य सरकार द्वारा सामूहिक ट्यूब-वैल योजना स्वीकृत की गई है जिसके अन्तर्गत एक साथ कई ट्यूब-वैल तैयार किए जाते हैं और उन्हें रियायती दरों पर कृषकों को बेचा जाता है। अलवर व नागौर क्षेत्रों में ऐसी ही दो योजनाएं शुरू की गई हैं। 400 नल-कूपों की योजना सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों के लिए तैयार की जा रही है।

32. इस समय राज्य के बारह जिलों में सड़कों व पुलों का निर्माण-कार्य तथा राजस्थान नहर क्षेत्र में सड़कों का कार्य प्रगति पर है। कुछ सड़कों पर कोलतार डालने का कार्य भी किया जाएगा। राज्य में सीमा-सड़कों का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और आशा की जाती है कि आगे कार्यों के लिए भी वर्ष 1972-73 में प्रावधान केन्द्र से उपलब्ध होगा। वर्ष 1971-72 में भवन निर्माण कार्यों के लिए 343.66 लाख रुपये का प्रावधान था और इसके अन्तर्गत निर्मित होने वाले भवनों का निर्माण कार्य चालू है जिनमें सरकारी अधिकारियों के लिए जयपुर में होस्टल-भवन व राज्य कर्मचारियों के लिए आवास-गृहों के निर्माण का कार्य भी सम्मिलित है।

33. इस वर्ष न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत राज्य सरकार ने सभी अनुसूचित उद्योगों में अकुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 60 रुपये से बढ़ाकर 85

(करतल ध्वनि)

रुपये मासिक कर दिया है। अर्द्धकुशल व कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन क्रमशः 85 व 100 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये व 125 रुपये मासिक कर दिया है। ये परिवर्तित न्यूनतम वेतन की दरें 14 अक्टूबर, 1971 से प्रभावशाली हो गई हैं। इस वर्ष कोन्ट्रैक्ट लेबर (रेगूलेशन एण्ड अबोलिशन) एक्ट, 1970 तथा इसके अन्तर्गत बने नियम 20 मार्च, 1971 से राज्य में लागू कर दिए गए हैं। इस अधिनियम के लागू होने से ठेके पर कार्य करने वाले

Page No 23

(श्री अध्यक्ष)

हजारों श्रमिकों को वे ही काम, दशायें व वेतन दिया जावेगा, जो प्रमुख नियोजक अपने श्रमिकों को देते हैं तथा इससे ठेके पर काम करने वाले श्रमिकों का शोषण समाप्त करने में सहायता मिलेगी। यह हर्ष का विषय है कि संकटकालीन स्थिति में राज्य के श्रमिकों व प्रबन्धकों ने पूर्ण सहयोग दिया तथा युद्ध—स्थिति में कोई औद्योगिक विवाद, तालाबन्दी व हड़ताल नहीं हुई। वर्ष 1971—72 में दो और जिला नियोजन कार्यालय जैसलमेर और बूंदी में खोले गए। गत वर्ष की तुलना में नियोजन की स्थिति सुधरी है।

34. समाज कल्याण की कई योजनाएं राज्य में चल रही हैं जिनमें से कुछ उल्लेखनीय हैं। राज्य में बाल अधिनियम लागू हो गया है। इसके अन्तर्गत जयपुर में तथा अजमेर में बाल-गृह, विशेष स्कूल आदि भी स्थापित किए गए हैं। गर्भवती माताओं को पोषाहार की योजनाओं के अन्तर्गत 1 लाख 50 हजार बच्चे एवं माताओं को 1 हजार 200 केन्द्रों के माध्यम से पोषाहार दिया जा रहा है। अगले वर्ष इस योजना को दुगुना करने का प्रस्ताव है। आदिवासी बच्चों के लिए आश्रम व स्कूल सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। हरिजन बस्तियों में नल व रोशनी तथा भवन—निर्माण हेतु बिना ब्याज के ऋण दिये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों की सुविधा के लिए 7 आश्रम भी राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। इस हेतु लगभग 36 लाख रुपया व्यय किया जा रहा है। पिछड़ी जातियों के व्यक्तियों को निर्धारित अभ्यंस की देख-रेख हेतु राज्य के सभी विभागों एवं राजकीय उपकरणों में रोस्टर प्रणाली लागू की गई है। अनुसूचित जाति एवं जन—जाति के कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बैंकों द्वारा दिये जाने वाले 5 हजार रुपये तक के ब्याज का भुगतान समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है एवं जीर्णोद्धार करने के लिए 5 हजार रुपये के प्राप्त ऋण का ब्याज भी राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है।

35. राज्य सरकार द्वारा घोषित, बेरोजगार स्नातकों एवं डिप्लोमाधारियों का पूल बनाने की योजना चल रही है जिसमें 760 व्यक्तियों का चयन हो चुका है। इस योजना के अन्तर्गत अभियांत्रिक-स्नातकों को 250) रु. एवं डिप्लोमाधारियों को 150) रु. प्रति माह की दर से दो वर्ष के लिये स्टाइपेण्ड दिया जावेगा। इसके अतिरिक्त 1971—72 में अब तक 144 कार्मिकों को चुनीदा सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों में प्रेक्टिकल ट्रेनिंग हेतु व्यवस्था की गयी है और उन्हें क्रमशः 200) रु. व 150) रु. प्रति माह का वजीफा दिया जा रहा है। आई. टी. आई. के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को अधिकाधिक रोजगार दिलाने हेतु मशीन टूल कारपोरेशन अजमेर से एक अनुबन्ध 1971-72 में किया गया है जिसके अनुसार 200 आई.टी.आई. अभ्यार्थियों को प्रति वर्ष रोजगार मिलेगा। इनमें से कुछ अभ्यार्थियों को रोजगार के योग्य बनाने हेतु निगम उन्हें प्रशिक्षण के लिऐ राजस्थान के बाहर भी भेजेगा जिसका व्यय राज्य सरकार वहन करेगी।

(श्री अध्यक्ष)

36. राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति नियन्त्रण में रही लेकिन अपराधों की संख्या में गत वर्ष की अपेक्षा कुछ वृद्धि अवश्य हुई है। पुलिस की कुख्यात डाकू गिरोहों से इस वर्ष अनेक बार मुठभेड़ हुई जिनमें 84 डाकू पकड़े गये व 12 डाकू मारे गए हैं।

37. कारागार विभाग द्वारा, बंदियों को समाज के लिए उपयोगी सभ्य नागरिक बनाने के उद्देश्य से, कारागृहों में शिक्षा की उन्नति के लिए भिन्न स्तरों पर इस वर्ष कई ठोस कदम उठाए गए हैं और उनसे लाभ-प्रद परिणाम निकले हैं।

38. राज्य के औद्योगिक और व्यवसायिक प्रगति के साथ-साथ पथ परिवहन का महत्व भी बढ़ता जा रहा है। वर्ष 1970–71 में गाड़ियों की संख्या 82 हजार 661 थी जो वर्ष 1971–72 में बढ़कर 97 हजार 752 हो गई है। राष्ट्रीयकृत मार्गों पर अवैधरूप से चलने वाली गाड़ियों की रोकथाम के लिये मोबाइल मजिस्ट्रेट्स की नियुक्ति की गई हैं जिसके फलस्वरूप ऐसी अवैध गाड़ियों की संख्या में कमी हुई है। राष्ट्रीयकृत मार्गों पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की 400 बसें चल रही हैं और इस वित्तीय वर्ष में निगम को लगभग 22 लाख रुपया का लाभ होगा। यात्रियों को बस सेवाओं की समुचित सुविधाएं मिल सके इसके लिए निगम सचेष्ट है।

39. वर्ष 1971 में राज्य के पूर्वी एवं दक्षिणी-पूर्वी भाग में वर्षा लगभग सामान्य होने के कारण इन भागों में तो स्थिति सामान्य रही, किन्तु राज्य के पश्चिमी भाग में विशेषकर बीकानेर, जैसलमेर बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, पाली, सिरोही, चूरू एवं गंगानगर में अभाव की स्थिति रही। भीलवाड़ा जिले की आसीन्द तहसील के भी कुछ गांव अभाव की स्थिति से प्रभावित हैं। कुल मिलाकर लगभग साढ़े चार हजार गांव अभाव की स्थिति से प्रभावित हैं। आरम्भ में वर्षा ठीक हो जाने के कारण राज्य में लगभग चारे की स्थिति सामान्य है और पशु-धन के लिए कोई विशेष व्यवस्था करना आवश्यक नहीं है। जिला जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली एवं बाड़मेर में पेय जल की व्यवस्था ट्रकों द्वारा भिजवाया जाकर एवं नल-कूप चलाए जाकर लगभग 60 स्थानों पर की जा रही है। ग्राम-निर्माण कार्यक्रम एवं क्रेस योजना के अन्तर्गत चल रहे कार्यों पर अभावग्रस्त लोगों को रोजगार मिलने के कारण कहीं सहायता कार्य प्रारम्भ नहीं किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 1972–73 में यदि आवश्यकता समझी गई तो सहायता कार्य खोले जा सकेंगे।

40. प्रशासन में सुधार की दृष्टि से सचिवालय में प्रक्रिया सुधार कमेटी का गठन किया गया तथा कमेटी की सिफारिशों को लागू किया गया है। इसके अनुसार सचिवालय में ग्रुप-प्रणाली प्रचलित हुई जिससे मामलों का निपटरा शीघ्र होगा और कार्य का स्तर ऊंचा होगा। विभागों में कर्मचारियों की स्ट्रेन्थ का मूल्यांकन एवं योजनाबद्ध केरियर मैनेजमेन्ट जैसे आवश्यक प्रश्नों पर भी कार्यवाही शुरू की गई।

प्रशासन में स्फूर्ति लाने की दृष्टि से जन-अभियोग निराकरण विभाग की भी स्थापना जुलाई, 1971 में की गई और इस अल्पावधि में प्राप्त 4 हजार शिकायतों म से लगभग आधे से अधिक मामलों का निपटारा कर दिया गया है। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा भी आवश्यक कार्य किया जा रहा है। करीब 80 भ्रष्ट कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार की सजायें दी गई। अभी हाल ही में राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों को अन्तरिम राहत मकान किराया एवं परियोजना भत्ता देने का भी निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों के हित के लिये एक अलग से अधिकारी की भी नियुक्ति की गई है। तत्पश्चात् विभिन्न विभागों के लगभग 4 हजार कर्मचारी स्थायी किये जा चुके हैं।

41. इस सत्र का मुख्य कार्य, जिसके लिए आपको यहां आमन्त्रित किया गया है वह आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आय-व्ययक पर विचार-विमर्श करना एवं उसे पारित करना तथा तत्सम्बन्धी कानून बनाना है। मुझे ऐसा विश्वास है कि आय-व्ययक पर विचार विमर्श करते समय आप राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु ध्यान रखेंगे जिसके लिए हम सभी कृत संकल्प हैं। राज्य सरकार इस सत्र में राजस्थान कराधान विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 1971, राजस्थान यात्री तथा मालकर (संशोधन) अध्यादेश 1971, राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) अध्यादेश, 1972 आदि भी आपके समक्ष विचार विमर्श एवं उचित कार्यवाही के लिए प्रस्तुत करेगी।

42. मोटे तौर पर पिछले वर्ष की उल्लेखनीय घटनाओं और राज्य सरकार की उपलब्धियों का मैंने जिक्र किया है। अब हमें आने वाले वर्ष के कार्य-कलापों पर विचार करना है और राजस्थान के चहुमुख विकास की दिशा में कार्य करना है। जनहित में आप सबका सदैव की भांति पूर्ण सहयोग प्राप्त हो तथा आपके विचार विमर्श में सफलता मिले यही मेरी कामना है।

43. राजस्थान विधान सभा में मेरा यह अन्तिम अभिभाषण है। मेरे कार्यकाल के पांच वर्षों की अवधि में जो सहयोग और सद्भावनायें सदन के सदस्यों से प्राप्त हुई, उसके लिए मैं आभारी हूँ। आपके स्नेह की सुखद स्मृति की अमिट छाप मेरे हृदय में सदा अंकित रहेगी। राजस्थान अपने विकास एवं समृद्धि के प्रशस्त मार्ग पर अबाध गति से अग्रसर होता रहे, यही मेरी हार्दिक कामना सदैव रहेगी। "जय हिन्द"

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक 21-3-72)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
3	अन्तिम से 13	हमेश	हमेशा
,,	,, 1	हुएये	हुए थे
4	,, 10	करता	करता हूं
6	5	शो	शोक
9	16	आजभी	आज भी
11	अन्तिम से 6	सवस्व	सर्वस्व त्याग
17	,, 7	हमाकी	हमारी
20	9	दस्यो	सदस्यों
29	12	काय	कार्य
31	9	किय	किये
35	अन्तिम से 6	रुपया	रुपयों
36	,, 12	आवश्वकता	आवश्यकता
,,	,, 5	निपटरा	निपटारा
29	,, 12	तत्पश्चार	तत्पश्चात्